राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– प.4(ई)(1)(6)एसीपी / अलेसे–III / 6500 **दिनांक :–** 06.01.2021

आदेश संख्याः– 272/2020-21

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त (नियम) / 2008 दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11 (7) वित्त (नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14 (88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण–पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88) वित (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008–I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड 2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4200 / – स्वीकृत की जाती है।

क.सं	नाम(सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अशोक कुमार गुप्ता (3829)	175 / 92	30.03.1995	30.03.2013	विभागीय आदेश क्रमांक 26769–778 दिनांक 15.12.2005 के द्वारा श्री गुप्ता को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने की दिनांक 29.09.2005 से निलम्बित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय आदेश सं. 31 / 2012–13 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा श्री गुप्ता को निलम्बन से बहाल किया गया एवं विभागीय आदेश क्रमांक 5878 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा श्री गुप्ता की निलम्बन अवधि को वेतन भत्तों के भुगतान एवं अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना हेतु मान्य किया गया हैं।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :– प.4(ई)(1)(6)एसीपी / अलेसे–III / 6500 **दिनांक :–** 06.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / एपीएआर शाखा।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–III)

(D:\2019\Anil ji\latter.docx :-182